एक नजर में

ठाकुरजी के सांझी मनोरथ का किया आयोजन

आगर मालवा । पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद शाखा आगर के तत्वावधान में सत्यनारायण गली स्थित अस्तल के मंदिर में पुरुषोत्तम मास के द्वादश दिवस ठाकुर जी का सांझी का मनोरथ बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया. श्रीठाकुर जी के सांझी मनोरथ को लेकर मनोरथ करता देसाई परिवार के द्वारा रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से बहुत ही आकर्षक सांझी बनाई गई और प्रभु श्रीनाथ जी का सांझी की कलाकृति के साथ सुंदर श्रृंगार किया गया. सांझी मनोरथ मंडली में परम भगवतीय वैष्णव देसाई परिवार एवं वैष्णव भक्तों के द्वारा ढोलक की थाप और मजीरे की झंकार के साथ श्री ठाकुर जी के सांझी मनोरथ के उपर मधुर कीर्तन एवं भजनों की प्रस्तुति दी. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रीनाथजी के भक्त भक्ति संगीत की रस धारा से ओतप्रोत हो गए. मनोरथ कार्यक्रम के समापन पर कार्यक्रम के मनोरथी परिवार एवं उपस्थित वैष्णव भक्तों ने बड़े भक्ति भाव से प्रभु श्रीनाथजी की आरती कर उनकी अलौकिक लीलाओं का गुणगान किया. आरती के पश्चात मनोरथी देसाई परिवार के द्वारा ठाकुर जी को भोग सराकर उपस्थित वैष्णव भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया .इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिला एवं पुरुष वैष्णव जनों ने श्री ठाकुर जी के दिव्य दर्शन का लाभ लिया. इस अवसर पर वैष्णव परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मनोरथी देसाई परिवार के सदस्यों का उपरना उड़ा कर स्वागत सम्मान किया गया.

51 वर्षों से निरंतर संपर्क बनाए रखना सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण

शाजापुर । 1975 के बीटीआई राजगढ़ के शिक्षक साथियों का अभिनव मित्र मिलन समारोह गांधी हॉल शाजापुर में आत्मीय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम में राजगढ़ एवं शाजापुर के लगभग 50 मित्र सपत्नीक उपस्थित हुए. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण भीमावद ने इस अनूठे आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में इस प्रकार के आयोजन अत्यंत सुखद एवं प्रेरणादायी हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में परिवार और समाज का उत्कृष्ट स्थान है और मित्र परिवार का 51 वर्षों से निरंतर संपर्क बनाए रखना सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में बीटीआई राजगढ़ से प्रारंभ हुई मित्रता आज तक उसी आत्मीयता के साथ कायम है. उस समय मोबाइल जैसी संपर्क सुविधाएं नहीं थी, केवल चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही सुखदुख का आदान प्रदान होता था, फिर भी मित्रता का यह संबंध निरंतर जीवंत बना रहा. यह मित्रों की आत्मीयता का प्रमाण है .विधायक भीमावद ने कहा कि इस मित्र मिलन समारोह में उपस्थित होकर वे स्वयं गौरव का अनुभव कर रहे हैं तथा यहां से यह सीख लेकर जा रहे हैं कि दुनियादारी के कामकाज तो चलते रहते हैं, परंतु मित्रता को जीवनभर कैसे निभाया जाता है. यह इन मित्रों से सीखा जा सकता है और समाज को भी सीखना चाहिए. उन्होंने कहा कि 51 वर्षों बाद भी सभी मित्रों का अपनी अपनी जीवनसंगिनी के साथ एक स्थान पर एकत्रित होना अत्यंत प्रेरक है .कार्यक्रम के संयोजक मधुकांता सोनी, रामचंद्र चौहान एवं मनोहर राय ने बताया कि समारोह में सभी मित्रों ने अपने छात्र जीवन की पुरानी यादों को ताजा किया. कार्यक्रम में आए सभी साथियों का शाल और अंग वस्त्र से विधायक जी द्वारा सम्मान किया. संचालन मनोहर राय ने किया एवं आभार रामचंद्र चौहान ने माना.

शुजालपुर में सिविल हॉस्पिटल में किशोरियों और युवतियों को जानकारी देकर किया जागरूक

शाजापुर । अंतरराष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर सिविल

हॉस्पिटल शुजालपुर मंडी में किशोरियों एवं महिलाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किशोरियों एवं महिलाओं ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान उमंग काउंसलर अरुणा परमार ने माहवारी स्वच्छता के महत्व पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि माहवारी महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन की एक सामान्य एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है. इसे सम्मान एवं जागरूकता के साथ स्वीकार करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि आज भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी को लेकर कई भ्रांतियां एवं भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है. किशोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, सेनेटरी पेड का उपयोग करने, संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम एवं सामान्य दैनिक दिनचर्या में होने वाले बदलावों के संबंध में जानकारी दी गई. साथ ही यह भी बताया गया कि माहवारी के दिनों में महिलाओं एवं किशोरियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें परिवार एवं समाज में समान सम्मान एवं सहयोग मिलना चाहिए. इस अवसर पर उमंग स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध परामर्श सेवाओं की जानकारी भी प्रदान की गई. कार्यक्रम के अंत में बालिकाओं को सेनेटरी पेड वितरित किए गए. इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शुजालपुर डॉ. शारदा रामसरिया, डॉ. राम सलोने मिश्रा, डॉ. रविन्द्र गुप्ता, डॉ. भूपेन्द्र परमार, डॉ. आभा जैन, डॉ. विपिन जैन, संजय मंडलोई, जया माहेश्वरी, संतोष पांडे, राजेश पांडे, नर्सिंग ऑफिसर मनीषा, पूजा जॉन एवं सिस्टर संतोष दीदी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे.

आम लोग 15 जून तक दे सकेंगे सुझाव

आगर-मालवा । राज्य शासन द्वारा विवाह, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य परिवार संबंधित कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाएगा. इस उद्देश्य से ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. जन परामर्श के सुझाव प्राप्त करने हेतु वेबसाइट तैयार की गई है. जिस पर जनमानस से सुझाव सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे. सुझाव देने की तिथि 22 मई से आगामी 15 जून तक निर्धारित की गई है. जिले के नागरिक उक्त वेबसाईड के माध्यम से समान नागरिक संहिता पर अपना परामर्श/सुझाव भेज सकते हैं.

जेडी ने अव्यवस्था पर लगाई अस्पताल प्रबंधन को फटकार

संयुक्त संचालक ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, दिए सुधार के निर्देश

शाजापुर । जिला अस्पताल में विभाग के वरिष्ठ संयुक्त संचालक द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया. जिसमें कई सारी अव्यवस्थाएं सामने आई. कई बार तो संयुक्त संचालक अव्यवस्थाएं देख इतने नाराज हुए कि उन्हें अधिकारियों को फटकार भी लगाना पड़ी. कहीं एक्सयपायरी डेट के इंजेक्शन मिले तो कहीं अधूरी किट मिली. तो कहीं ड्यूटी से डॉक्टर नदारद मिले.

वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. निदारिया शुक्रवार को जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे. जिन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन और सीएमएचओ को तत्काल सुधार के कड़े निर्देश दिए.

सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ निरीक्षण में व्यवस्थाओं की पोल खुलती चली गई. कभी इमरजेंसी किट अधूरी मिली, कभी डॉक्टर गायब मिले तो कहीं पीआईसीयू के बाहर बना मीटिंग हाल देखकर ही अधिकारी भड़क गए.

ट्रामा सेंटर से की निरीक्षण की शुरुआत...

जिला अस्पताल पहुंचे डॉ. निदारिया ने अपने निरीक्षण की शुरूआत ट्रामा सेंटर से की. इसके बाद वे इमरजेंसी वार्ड क्रमांक 29 में पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर से इमरजेंसी किट मंगवाईए, लेकिन किट में जरूरी सामान अधूरा मिला. इस पर उन्होंने डॉक्टर रवि सोनी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक निरीक्षण चल रहा है पूरी किट तत्काल यहां उपलब्ध होनी चाहिए. दवा वितरण केंद्र में भी कुछ खामियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए. फिर मरीजों की एंट्री के लिए बनाए गए अलग कक्ष को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने साफकहा कि एक ही जगह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बार बार मरीजों को भटकाना ठीक नहीं है. इमरजेंसी डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई, उनका कहना था कि डॉक्टर कक्ष नंबर 3 में बैठते हैं और मरीज इमरजेंसी वार्ड में परेशान होते रहते हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर वार्ड नंबर-29 के पास ही बैठेंगे.

इमरजेंसी वार्ड में ही नहीं मिले डॉक्टर, संयुक्त संचालक ने जताई नाराजगी

जब डॉ. निदारिया ने दूसरी मंजिल पर वार्ड में भर्ती बच्चों की जानकारी ली. इसी दौरान बच्चों के डॉक्टर उमेश गौतम के निजी क्लीनिक के रजिस्ट्रेशन को लेकर सीएमएचओ ने हंसते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो डॉ. निदारिया ने तुरंत पूछा शिफ्र काम कैसे चल रहा है. अस्पताल के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यहां भर्ती कई बच्चों को पहले निजी क्लीनिक पर देखा जाता है और बाद में जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है. इसके बाद भर्ती मरीजों के वार्ड में पहुंचकर दवाइयों और गोलियों की व्यवस्था देखी गई. व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिलने पर सुधार के निर्देश दिए गए. इसी बीच अधिकारी दोबारा इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां डॉक्टर अनुपस्थित मिले. यही नहीं जब संयुक्त संचालक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और रोज होने वाले सीजर ऑपरेशन की जानकारी मांगी तो अस्पताल प्रशासन सही आंकड़े नहीं दे पाया, उन्होंने रात 12 बजे से सुबह तक होने वाले सीजर और रैफर मरीजों की पूरी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही सिविल सर्जन से पूछा कि कौन कौन कर्मचारी कितने वर्षों से यहां पदस्थ हैं. इसकी पूरी लिस्ट लाकर मुझे दीजिएगा. इस पर भी सीएस स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक 31 को

आगर मालवा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की जनपरामर्श बैठक 31 मई दोपहर साढ़े 3 बजे से कंपनी गार्डन में आयोजित की जाएगी. बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों के सुझाव प्राप्त करना है. बैठक में समिति के सदस्य गोपाल शर्मा शिक्षाविद उपस्थित रहेंगे। राज्य शासन द्वारा गठित यह समिति प्रदेश में समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करेगी. जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है. बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है.

मंडोदा में अवैध खनन की शिकायत करने पर ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

एकजुट होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन

शाजापुर । जिले के ग्राम मण्डोदा में पिछले दो वर्षों से अवैध खनन हो रहा है. शुक्रवार दोपहर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने एसडीएम मनीषा वास्कले को ज्ञापन देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी हमने शिकायत का प्रयास किया था तो हमें ट्रेक्टर से कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं.

कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र के तालाब और उसकी पाल को जेसीबी मशीनों से खोदा जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पूरी बस्ती के स्वास्थ्य पर भी संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के समीप करीब 500 से 600 लोगों की बस्ती स्थित है. अवैध उत्खनन के कारण उड़ने वाली धूल सीधे घरों में पहुंच रही है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. साथ ही अवैध खनन के कारण तालाब के चारों ओर गहरे और जानलेवा गड्ढे बन गए हैं. पूर्व में इन्हीं में से एक गड्ढे में डूबने के कारण एक मासूम बालक की जान भी जा चुकी है.

अवैध खनन की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश

ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि 28 मई को जब उन्होंने एकजुट होकर अवैध उत्खनन रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर जेसीबी और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की. दबंगों की इस हरकत से डरे ग्रामीण जान बचाकर वहां से भागे, ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने कई बार डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं.

तस्वीरें और सीडी लेकर पहुंचे कलेक्टोरेट

अवैध खनन के पुख्ता प्रमाण के रूप में ग्रामीणों ने प्रशासन को मौके की तस्वीरें और एक सीडी भी सौंपी है. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन तत्काल मौके पर दबिश देकर उत्खनन में प्रयुक्त मशीनों को जब्त करे और दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें. इसके बाद एसडीएम मनीषा वास्कले ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग को जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

अवैध खनन की तस्वीर ग्रामीणों ने अधिकारियों को सौंपी

तीन खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

अपर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खाद्य सामग्री के नमूने अवमानक पाए जाने पर की कार्रवाई

आगर-मालवा । अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आरपी वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विभिन्न प्रकरणों में दोषी पाए जाने पर जिले के तीन खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई है.

प्रथम प्रकरण में बड़ौद स्थित बीकानेर नमकीन एंड स्वीट्स के संचालक मुकेश सिंह राजपुरोहित के प्रतिष्ठान से 24 अक्टूबर 2024 को मावा लूज, चमचम एवं मावा कतली के नमूने जांच हेतु लिए गए थे. जांच में चमचम एवं मावा कतली के नमूने मानक पाए गए, जबकि मावा का नमूना बीआर रीडिंग अधिक होने के कारण अवमानक पाया गया. इस पर न्यायालय द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया. इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण में 27 जनवरी 2025 को होटल महाराजा, आगर के निरीक्षण के दौरान संचालक मुकेश गवली पिता दुलीचंद गवली निवासी बड़ा गवलीपुर, आगर बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के वेज एवं नॉन-वेज होटल संचालन करते पाए गए. निरीक्षण में खाद्य सामग्री का अवैध निर्माण, संग्रहण, प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाना पाया गया. प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(2) के उल्लंघन पर एफएसएस 2006 की धारा 55 एवं 58 के तहत दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 1 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

15 दिन में जमा कराना होगी अर्थदण्ड की राशि

उक्त तीनों प्रकरणों में कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी आगर एल. कुम्भकार द्वारा की गई थी. तीनों प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 15 दिवस के भीतर जमा करानी होगी. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित तहसीलदार के माध्यम से भू राजस्व संहिता एवं अधिनियम की धारा 96 के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जुर्माना राशि जमा होने तक संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन निलंबित रहेंगे.

घी का नमूना पाया गया अमानक...

तीसरे प्रकरण में साल्याखेड़ी निवासी रामलखन पाटीदार द्वारा सोयत नगर बस स्टैंड क्षेत्र में थोक स्तर पर चाय, घी, दाल एवं चावल का कारोबार संचालित किया जा रहा था. जांच के दौरान करतार प्योर घी एवं खुली चाय के नमूने लिए गए. परीक्षण में चाय का नमूना मानक तथा करतार प्योर घी का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया. मामले में एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया गया था. दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए की अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई.

परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन पर विशेष सत्र आयोजित

शाजापुर । परीक्षाओं के समय छात्र-छात्राओं में बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर में एक विशेष तनाव प्रबंधन सत्र का आयोजन किया.

सत्र के मुख्य वक्ता प्रख्यात विशेषज्ञ डॉ. पराग जैन थे. उन्होंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा केवल आपके ज्ञान का मूल्यांकन है न कि आपके जीवन का. डॉ. जैन ने विद्यार्थियों को टाइम मैनेजमेंट, ध्यान, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच के जरिए परीक्षा के तनाव को कम करने के कई व्यावहारिक टिप्स दिए. उन्होंने कहा कि थोड़े से मानसिक अनुशासन और सही रणनीति से परीक्षा के डर को आत्मविश्वास में बदला जा सकता है. कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जोगेंद्र भारती ने सत्र की रूपरेखा तैयार की और विद्यार्थियों को लगातार सीखते रहने और खुद पर भरोसा रखने की बात कही. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के प्राचार्य विपुल परमार्थी ने कहा कि आज के समय में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि कॉलेज प्रशासन हमेशा उनके शैक्षणिक और मानसिक सहयोग के लिए तत्पर हैं. उन्होंने इस तरह के आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया. इस मौके पर समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

एक नजर में — सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान के तहत किया आयोजन

पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता कार्यशाला

शाजापुर । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जागृति योजना 2025 के अंतर्गत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया.

यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में संचालित किया गया. कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में जानकारी दी गई तथा बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों एवं समाज की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया. कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ. विशेष न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी पॉक्सो न्यायालय श्रीमती रंजिता राव सोलंकी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती नमिता बौरासी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह संदेश दिया गया कि यदि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का अपराध या गलत व्यवहार होता है, तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस या संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके.

पूछताछ के दौरान संवेदनशील व्यवहार करें

विशेष न्यायाधीश रंजिता राव सोलंकी ने कार्यशाला में उपस्थित महिला आरक्षकों को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि पॉक्सो प्रकरणों में पीड़िता से पूछताछ के दौरान संवेदनशील व्यवहार अपनाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पीड़िता को सुरक्षित वातावरण एवं विश्वास प्रदान करते हुए उसका बयान लिया जाए, ताकि वह बिना किसी डर एवं संकोच के घटना की सही जानकारी दे सके. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नमिता बौरासी ने अपने उद्बोधन में बताया कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है...

इस अवसर पर उपस्थित जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भेटेल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव सहायता के लिए उपलब्ध है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पॉक्सो मामलों की जांच के दौरान संवेदनशीलता, व्यवहार कुशलता एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. पुलिस विभाग के अधिकारीगण, महिला पुलिस अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. लगभग 50 से अधिक महिला आरक्षक एवं पुलिस अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए.

आंधी और हवा से गिरने लगेगा तापमान

शाजापुर । अप्रैल माह से शुरू हुआ भीषण गर्मी का दौर अब समापन की ओर है, मौसम विभाग की माने तो आज से आंधी व बारिश शुरू होगी जिससे मौसम में ठंडक घुलेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. शुक्रवार को भी ठंडी हवाओं की उपस्थिति ने लोगों को राहत प्रदान की और तापमान भी कम हुआ. करीब डेढ़ माह से नगरवासी भीषण गर्मी की चपेट में थे और तापमान भी 40 से 45 डिग्री बना हुआ था, हालात ये थे कि दोपहर के वक्त पूरा शहर सन्नाटे में रहता था. शाम को भी लोगों को कूलर व एसी के सहारे ही दिन गुजारना पड़ रहे थे. बुधवार को भी तापमान में उछाल आने से लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था. लेकिन गुरूवार रात से हवाओं ने नगर में अपना डेरा डाला जिससे अब गर्मी से राहत मिलने लगी है. शुक्रवार को भी नगर का अधिकतम तापमान 42.5 व न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया. इस दिन 15 किमी की गति से ठंडी हवाएं चली जिससे लोगों को गर्मी से फोरी राहत मिली. मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि शनिवार व रविवार को दोपहर बाद आंधी के साथ गरज.चमक संभावित है, जिससे मौसम में ठंडक घुलेगी.